मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1996
12.02.2021 को उत्तर के लिए

जीएम बीजों का आयात

1996. श्री अजय कुमार मंडल:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) बीजों के आयात को प्रतिबंधित करने और उनकी निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कृषि कार्यकलापों के लिए प्रतिबंधित जीएम बीजों का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) जीएम बीजों सहित आनुवंशिक रूप से संवर्धित (जीएम) जीवों का आयात, विदेश व्यापार महा निदेशालय द्वारा उचित रूप से अनुमोदन प्रदान करने के बाद ही अनुमत किया जाता है। अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) प्रयोजन हेतु जीएम बीजों का आयात संबंधी पुनरीक्षा समिति से तकनीकी स्वीकृति के बाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जेनेटिक मेनीपूलेशन रूप से परिचालन - राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा सुकर बनाया जाता है। गैर अनुसंधान और विकास प्रयोजनार्थ जीएम बीजों का आयात केवल आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के पश्चात् ही अनुमत किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ड.) उपरोक्त (ग) में दिए गए उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

****